headquarters will be provided with telephone facility.

Statement

District-wise details where telephone facilities have not been provided.

Sl. No.	Name of District	No. of blocks not provided with telephone facility
1.	Arrah	4
2.	Bhagalpur	1
3.	Chhapra	2
4.	Darbhanga	5
5.	Dumka	5
6.	Dhanbad	2
7.	Gaya	5
8.	Hazaribagh	3
9	Jamshedpur	4
10.	Katihar	1
11.	Muzaffarpur	9
12.	Munger	
13.	Motihari	2
14.	Patna	2
15.	Ranchi	15
16.	Sasaram	3
17.	Saharsa	7
	TOTAL	70

Construction of Bridge on NH-21 in Himachal Pradesh

1246. SHRI SUSHIL BARONGPA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have taken any final decision with regard to construction of bridge (ncer Manali) and broadening and improvement of NH-21 between Kullu and Manali;

(b) if so, the time fixed for commencing the work; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) Construction of a major bridge across river Beas near Manali is at investigation stage. Improvement work of NH-21 between Kullu and Manali is in progress. There is no proposal of widening this section of National Highway from single lane to 2 lane at present.

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अन्तर्राज्यीय जनमार्ग प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन

1247. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण और केन्द्रीय अंतर्राज्यीय जल परिवहन निगम सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है;

(ख) यदि हा, तो इन संस्थानों का कब गठन किया गया था, इनका वार्षिक बजट कितना है और उन्हें क्या-क्या दायित्व सौंपे गए थे;

(ग) क्या इन संस्थानों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिए गए दायित्वों को पूरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक संस्थान को सौंपे गए दायित्वों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰ जी॰ वेंकटरामन): (क) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम, 82) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत आता है।

(ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना, 1996 में की गई थी। वर्ष 1996-97 के लिए बजट प्राक्कलन 16.65 करोड़ रु॰ है। प्राधिकरण के मुख्य कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰ 1967 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1996-97 में इसके लिए 12.60 करोड़ रु॰ का प्रावधान किया गया है। यह निगम निम्नलिखित कार्य करता है:—

(I) कलकत्ता-बंगलादेश-असम, फरक्का, हल्दिया, पटना के बीच आई डब्ल्यू टी सेवा और हल्दिया और बज बज के बीच पी ओ एल उत्पादों की ढुलाई।

(II) राजाबागान डाकयार्ड में आई डब्ल्यू